ISSN: 2583-1453 SANCHAR SAROKAR January-March, 2022
www.sancharsarokar.in संचार सरोकार Vol.1, Issue 4
Page Nos. 1-14
Quarterly Peer Reviewed Bilingual Multidisciplinary Research e-Journal

डॉ. अम्बेडकर और महिला सशक्तिकरण
(एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)

डॉ सीमा मीना*

*सहायक प्राध्यापक, मैत्री कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

प्राचीन भारतीय दस्तावेजों पर नजर डाला जाए तो वंचितों में वंचित, उपेक्षितों में उपेक्षित, दलितों में दलित एवं शोषित शोषितों में आज भी नारी है। इसी कारण हर पहलू, हर आयाम का रूपक का, भूमिका समय–समय पर, प्रत्येक काल का, अलग–अलग दृष्टिकोणों से नारी नामी हस्ती का जायज़ा लेना आवश्यक हो जाता है।

स्त्री सशक्तिकरण की अवधारणा की शुरूआत महात्मा गौतम बुद्ध के विरासत से प्राप्त हुई और सम्राट अशोक के काल में इसने विकसित रूप धारण किया। आगे चलकर भारत के विभिन्न कालों के अलग–अलग महापुरुषों ने इस महत्त्वपूर्ण आंदोलन को जारी रखा, उसमें से इस आंदोलन के डॉ. भीमराव अम्बेडकर आधुनिक कालखंड के सबसे महत्त्वपूर्ण अग्रदूत थे।

बीसवीं, शताब्दी से भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति पर विचार और कार्य आरंभ हुआ। इस आंदोलन के आद्य प्रवर्तक के रूप में महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले ने सबसे पहले इस आंदोलन की नींव रखी। उन्हीं से प्रेरणा लेकर उन्हीं को वैचारिक गुरु बनाकर डॉ. अम्बेडकर ने इस आंदोलन को लोकतांत्रिक रूप से सफल बनाने की कोशिश की। स्वतंत्र भारत का समकालीन स्त्री आंदोलन महिलाओं की उपेक्षा, शोषण और श्रम में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने तथा बराबरी के सिद्धांत का दृढ़तापूर्ण पालन करने के नीति के साथ शुरू हुआ।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारतीय इतिहास के एक महापुरुष है। भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर उपेक्षित समाज के लिए मसीहा माने जाते हैं। "पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो" ऐसा संदेश देकर उन्होंने उपेक्षितों को प्रेरित किया। इन्होंने जीवन के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में यशस्वी योगदान दिया है, डॉ. अम्बेडकर के शिक्षातज्ञ, अर्थशास्त्री, ग्रंथकार, प्राध्यापक, देशभक्त, समाज–सेवक, राजनेता आदि रूपों से हम सभी जरूर परिचित हैं। उन्होंने कई वार्ता पत्रिकाएँ चलाई, हॉस्टटेल्स और ग्रंथालयों का निर्माण किया, स्कूल और महाविद्यालयों की नींव रखी, उन्होंने मजदूर आंदोलन छेड़े तथा राजकीय दलों की निर्मिति भी की। ज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत बुद्धिमान बाबासाहेब धैर्यवान भी थे और सहनशील भी। वे प्रायः उपेक्षितों के उद्धार के लिए लक्षित व संवेदनशील रहे।

डॉ. अम्बेडकर भारीतय राजीति के आकश पर सूर्य बनकर उदय हुए और जैसे सूर्य–प्रकाश समस्त संसार के लिए कोने–कोने से तिमित का नाश करता है उसी प्रकार उन्होंने भारतीय समाज के प्रत्येक पक्ष को अवलोकित किया। अशिक्षा, जाति–भेद स्त्री–भेद, स्त्री–पुरुष असमानता आदि प्रत्येक समस्या पर उन्होंने ऐसा विचार मंथन एवं कार्य किया कि लगा, यही क्षेत्र उनके लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में विचार अथवा उद्देश्य उनके लिए महत्त्वपूर्ण था। उन्होंने जब सोच लिया, उद्देश्य निश्चित कर लिया कि भारतीय समाज की स्त्रियों को जीते–जी नरक भोगने से रोकना है, उनके नारकीय जीवन में आत्मसम्मान के फूलों की सुगंध बिखेरनी है तो वो काम में लग गए।

डॉ. अम्बेडकर जी का सामाजिक कार्य 1920 से "मूकनायक" वर्ता पत्र प्रकाशन द्वारा शुरू हो गया। 1927 से 'बहिष्कृत भारत' प्रदर्शित होने लगा। समानता, शिक्षा का महत्त्व, दलितों के प्रश्न तथा स्त्री प्रश्नों पर अपने वार्तापत्रों में और लेखों में डॉ. अम्बेडकर विशेष ध्यान देते थे। अम्बेडकर जी के विचारों से महिलाएँ भी उस समय काफी मात्रा में प्रभावित हो रही थी। डॉ. अम्बेडकर ने अपने सद्–आंदोलन में केवल एक विशिष्ट जाति अथवा वर्ग का विचार नहीं किया अपितु भारत की आधी आबादी का विचार किया। वो कहते थे– "महिलाओं की उन्नति–अवनति पर ही देश की उन्नति–अवनति निर्भर होती है। जिन देशों

में महिलाओं का उचित सम्मान नहीं हाता है, वे देश, वे जातियाँ कभी उन्नति की अवस्था में नहीं पहुँच सकती। महिलाएँ शिक्षा से उन्नत होगी तो उनके बच्चों के जरिए देश का भविष्य उज्ज्वल होगा? तभी देश में विद्या, ज्ञान, शक्ति, भक्ति आदि की जागृति होगी।

सामाजिक न्याय के संदर्भ में डॉ. अम्बेडर ने 27 दिसंबर 1927 को महाड़ सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त किए। उदारण– वे प्रस्तुतीकरण द्वारा महिलाओं को प्रेरित करते थे। उनकी प्रोत्साहन परक ये पक्तियाँ देखिए। "महिलाओं का संगठन हो, इसका पक्षधर हूँ। महिलाओं का अपने कर्त्तव्य का महत्त्व समझ में आने पर वे समाज सुधार का कार्य कर सकेंगी, यह मैं जानता हूँ। समाज के घातक रीति–रिवाजों को खत्म कर आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। अपाकी प्रगति के बारे में मुझे विश्वास व संतोष है। स्वच्छ रहना सीखें। दुर्गुणों से दूर रहें। बच्चों को शिक्षा दें। उनमें महत्त्वकांक्षाएँ जगाएँ।" उनके मन से हीनता की ग्रंथि हटा दें। विवाह की जल्दी न करें। जो विवाह करेंगे वे ध्यान रखें कि अधिक बच्चे पैदा करना पाप है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह कि हरेक युवती अपने पति के प्रति निष्ठावान रहें। उससे मैत्री व बराबरी के स्तर से संवाद रखें, उसकी दासी न बनें। आप स्वयं को अस्पृश्य न समझें। घर में स्वच्छता रखें। स्पृश्य हिंदू पहनती है वैसा पहनावा पहनें। साड़ी फटी क्यों न हो, लेकिन वह स्वच्छ होनी चाहिए। मृत पशुओं का माँस खाना बंद करें। शराबी पति भाईयों या बच्चों को भोजन न परोसें। ज्ञान व विद्या महिलाओं के लिए भी जरूरी है। यदि आप इस उपदेश पर चलो तो आपको सम्मान और वैभव प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगा।"[1]

डॉ. अम्बेडकर स्त्री सक्षमीकरण द्वारा वो राष्ट्र को सशक्त, सक्षम तथा इसके लिए वो महिला शिक्षा को हथियार बनाना चाहते थे। महाड़ सम्मेलन में ही महिलाओं को सम्बोधित करते हुए कहा, "आप को अपनी लड़कियों को भी शिक्षा दिलानी चाहिए। ज्ञान और विद्या मात्र पुरुषों के लिए नहीं है अपने आने वाली पीढियों को यदि आपको सुधारना है तो आप अपनी लड़कियों को शिक्षा दिए बिना न रहें, बेटों के साथ बेटियों को स्कूल भेजो"[प] ऐसा बाबा साहेब आग्रहपूर्वक बताते हैं। सामान्य ज्ञान और शिक्षा दोनों की महिलाओं को आवश्यकता है– यह अत्यंत सरल भाषा में समझा कर

बाबासाहेब ने महिलाओं को प्रभावित किया था।

दूसरे ही दिन महिलाओं के पहनावे में अनुकूल बदलाव देखकर बाबासाहेब अचंभित हुए। 1927 से मंदिरों में दलितों को प्रवेश दिलाने के लिए बाबासाहेब के नेतृत्व में सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ। पूणे, नासिक के काला राम मंदिर के बाहर पुरुषों के साथ महिलाएँ भी काफी संख्या में सत्याग्रह में शामिल हुई थीं। इसके अलावा महाराष्ट्र के महाड़ के 'चवदार तालाब' का पानी सवर्ण हिन्दुओं के साथ दलितों को भी मिलना चाहिए– इस माँग के साथ किए गए सत्याग्रह में 300 महिलाएँ शामिल हुई यह संख्या ही दलित स्त्री जागृति का उत्तम उदाहरण है। बाबासाहेब मानते थे कि– यदि महिलाओं की क्षमताओं पर भरोसा किया जाएगा तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और सभी महिलाएँ आगे बढ़कर समाज में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इसके साथ ही डॉ. अम्बेडकर महिलाओं की स्वतंत्र सभाएँ हो, महिला संघटन हो– ऐसा बाबासाहेब चाहते थे। वे महिला संस्थाओं को प्रोत्साहन देते थे। अंबेडकर जो कि प्रेरणा से तुलसीबाई बनसोडे ने 'चोखामेला' नामक वार्ता पत्र शुरू किया था। विविध विषयों पर महिलाएँ अपने विचार व्यक्त करने लगी थी। दलित महिलाएँ अम्बेडकर जी के दृष्टिकोण से विशेष प्रभावित रही। 1931 में एक पत्रकार परिषद् में राधाबाई वडाले आत्मविश्वास से महिलआ समस्याओं पर बोलती थी। दलितों के शोषण पर भी उसने विविध उदाहरणों के साथ पत्रकारों को परिचित करवाया। अपने विचार स्पष्ट रूप में सबके सामने रखने वाली इन महिलाओं को देखने वाली इन महिलाओं को देखने से डॉ. अम्बेडकर को निश्चित रूप से आनंद हुआ ओगा। आज भरी समभा में भारतीय नारी महिलाओं के विशेषाधिकार के लिए उनके साथ बहस कर सकती है यह उनके लिए अचभिंत करने के साथ–साथ बड़ी संतोषजनक घटता थी।

स्त्री सशक्तिकरण मूलतः एक मानवतावादी विचारधारा का नाम है। डॉ. अम्बेडकर लोकहितवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण के थे इसलिए उनके सम्पूर्ण विचार मंथन का हिस्सा महिलाएँ थी। उन्होंने भारत वर्ष की तत्कालीन, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनैतिक व्यवस्था

का सूक्ष्मता से अध्ययन करके जाना की सभी समस्याओं के समाधान की मूल शर्त सामजिक न्याय और परिवर्तन की क्रांति से है, न अन्य किसी भी बदलाव की क्रांति से है, एक महान फ्रांसीसी लेखक ने एक बार कहा था– "अगर आप मुझसे यह जानना चाहते कि कोई राष्ट्र कैसा है या कोई सामाजिक संगठन कैसा है, तो मुझे यह बताइए कि उस राष्ट्र की महिलाओं की स्थिति कैसी है और उस समाज में महिलाओं का क्या स्थान है? इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय समाज व्यवस्था में शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करने की बात कही क्योंकि बाबासाहेब मानते थे कि महिलाओं की क्षमता पर भरोसा रखने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जिससे उनकी तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजनैतिक स्थिति जो अभी तक संतोषजनक बनी हुई है उसमें सुधार लाने में स्वयं से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

डॉ. अम्बेडकर जी का सामाजिक–धार्मिक दृष्टिकोणः–प्राचीन कालीन भारतीय समाज में वर्ण एवं जाति व्यवस्था आधारित संरचना होने के कारण भारतीय समाज का व्यावहारिक दर्शन महिला उन्मूलन करने से अछूता दिखाई पड़ता है। डॉ. अम्बेडकर के समग्र अध्ययन ओर दूरदृष्टि में महिला प्रश्न (शोषण, उत्पीड़न, अज्ञान, अपमान एवं सामाजिक विषमता) का निर्णायक स्वरूप सदियों से चली विषम समाज व्यवस्था और दृढ़ निरक्षरता के मौजूदगी के कारण है। किसी भी देश के समग्र विकास के लिए, उस देश के संतुलित सुशासन के लिए, उस देश की दिशा–निर्देश नीति जनकल्याणकारी होना पूर्व शर्त है। समाज की आधारभूत इकाई परिवार, स्त्री–पुरुष के सह–अस्तित्व की द्योतक है स्त्री–पुरुष समानता की बुनियाद है, परंतु प्राचीन काल से अर्वाचीन समय तक देखने में आया है कि नारी के लिए घर, पिंजरे में परिवर्तित हो गया है जहाँ उसे कैद कर दिया जाता है और वह आजादी के सपने देखती और पंज कड़कड़ाती रह जाती है। पुरुष प्रधान समाज में पुरुष, समाज द्वारा उसके शोषण से पहले, परिवार से ही नारी शोषण का लज्जाजनक अध्याय आरम्भ करता है। ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो नारी की हर क्रिया पर बंधनों का जाल तना हुआ है। उसके हर पग के लिए मर्यादा रेखा है

उसकी सोच पर पाबंदी है, उसके विचार पर प्रतिबंध है।

भारतीय स्त्री पर चले आ रहे दीर्घकालीन अत्याचार और अन्याय का अन्यत्र उदाहरण अप्राप्य है। डॉ. अम्बेडकर इसे मानवता पर कलंक मानते थे तथा स्त्री के लिए अपमान ओर चोट, अपमान ऐसा जो अस्तित्व को धुँआ कर दे और चोट ऐसी जो सदैव रिसती रहें। उन्होंने इस संबंध में मार्मिक उद्‌गार प्रकट किए हैं, although manu was later than the Budha, he has enunciated the old view propounded in the old Dharma sutras. This viw of the women was both an insult and injury to the women of India. It was an injury because without any Justification, she was denied the right to acquire the knowledge, which is the birth right of every human being. It was an insult because after denying her opportunity to acquire knowledge she was declared to be as unclean as untruth for want of knowledge as a path to reach Braham. Not she denied the right to realize her spiritual potentiality, she was declared to be barren of any spiritual potentiality, she was declared to be barren of any spiritual potentiality by the brahma. This is a cruel deal with women. It has no parallel." (writing and speeches, Vol. 7 (II) 2003, Pg.-119)

इन्हीं तथ्यों का गंभीर अध्ययन करके डॉ. अम्बेडकर ने धर्म शास्त्रों पर दोषारोपण किया, जिसने महिलाओं को बंधन में रखा उस पर घोर असमानताएँ लादी और उसे भारत में महिलाओं के ह्रास और पतन के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसलिए मनुस्मृति दहन आंदोलन को स्त्री स्वतंत्रता और सशक्तिकरण की दिशा में एक उज्ज्वल कदम माना जाता है। इस घटना के बाद स्त्री आंदोलन को व्यापक रूप मिला।

डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक दृष्टिकोण में भारतीय महिलाओं आंदोलन से जुड़ी हर तबके कि महिलाओं के विविध आंदोलनों में हिस्सेदारी से स्त्री का सामाजिक महत्त्व और उसके मूल आवश्यकता का एहसास जिंदा हुआ। अंतः आर्थिक आधार के साथ–साथ सामाजिक और धार्मिक आधार पर भी नारी की स्थिति का मूल्यांकन आवश्यक है ऐसा निष्कर्ष दिया। लिहाजा यह कि मूलतः डॉ. अम्बेडकर के नारी उन्मूलन दूरदृष्टि का यही निर्णायक निष्कर्ष है। अतः सामाजिक न्याय, सामाजिक पहचान, समान अवसर एवं संवैधानिक स्वतंत्रता के रूप में नारी सशक्तिकरण लिए उनके हर योगदान को हमेशा हर पीढ़ी हमेशा याद रखेगी।

सांस्कृतिक दृष्टिकोणः–

डॉ. अम्बेडकर के विचार में महिला विषयक विषम सांस्कृतिक वर्चस्व का गंभीर कारण पितृसतात्मक व्यवस्था है। भारतीय समाज का सांस्कृतिक स्वरूप विश्व के अन्य किसी भी देश के सांस्कृतिक स्वरूप से भिन्न है। एक ही देश में अनेक रीति–रिवाज, परम्परा, खानपान होने के कारण समाज के अंतर्गत सांस्कृतिक मतभेद निश्चित दिखाई पड़ता है। जिसका संबंध सीधा देश के जीवन व्यवस्था से अटूट जुड़ा है। जिसमें महिलाओं का स्थान पुरुषों के तुलना में असंतोषजनक है। इसलिए महाड़ सम्मेलन 25 दिसम्बर 1927 को सांस्कृतिक सीख देते हुए अम्बेडकर जी कहते हैं कि– "स्वच्छ जीवन जीयो, बच्चों को पढाएँ, लड़कियों का विवाह जल्दी न करो। अम्बेडकर वैवाहिक मूल्यों में सादगी पसंद करते थे। वे लिखते हैं– "वैवाहिक कार्यों में व्यर्थ धन व्यय होता है। यह धन फिजूल खर्चों के बजाय विद्यार्जन पर खर्च किया जाना चाहिए। मैरिज रजिस्टर्ड होना चाहिए क्योंकि यहाँ पति के जिंदा होते हुए भी निर्दोष महिलाओं को वैधव्य की दशा में रखा जाता है। वे मानव जीवन में समय के साथ–साथ जीवन मूल्यों में परिवर्तन चाहते हैं। डॉ. अम्बेडकर के मत से जब तक पुराने रास्तों को त्याग नहीं होता तब तक कोई भी नए रास्ते पर नहीं चल सकता। इसलिए पुरानी प्रथाओं और बुराईयों को त्याग दो।"[2]

जिस देश में मानव कल्याण रहित परम्परा और रूढ़ियों का रिवाज ही कानून का स्थान ले चुकीं हो। कानून अगर धर्म संहिता और आग्रह से चलता हो वहाँ कहीं

न कहीं अन्याय, शोषण एवं उत्पीड़न मौजूद होता ही है। अर्थात् रिवाज कानून से भी अधिक शक्तिशाली है वहाँ महिलाओं में सांस्कृतिक पहचान एवं गरिमा जिंदा करने का काम डॉ. अम्बेडकर ने किया।

शैक्षणिक दृष्टिकोणः–

ग्रीक यूनान में सुकरात ने कहा था– "Knowledge is Power" अर्थात् ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए आधुनिक भारत का सुकरात डॉ. अम्बेडकर को कहना गलत नहीं होगा क्योंकि भारत में समाज के लिए शिक्षा का महत्त्व और आग्रह करने वाला एकलोती विभूति डॉ. अम्बेडकर। डॉ. अम्बेडकर का शुरूआती जीवन शिक्षा संकट में रहते हुए गुजरा। इसलिए शिक्षा का महत्त्व और आवश्यकता को संबोधित करते हुए 4 अगस्त 1913 को जमादार को न्यूयार्क से पत्र लिखते है कि हमें इस धारणा को छोड़ देना चाहिए कि अभिभावक बच्चे को जन्म देते है न कि 'कर्म'। वे अपने बच्चों का भाग्य शिक्षा से बदल सकते है। अतः हमें पुरुष शिक्षा के साथ–साथ महिला शिक्षा की भी शुरूआत करनी चाहिए इसके पक्षधर थे चूंकि परिवारिक व्यवस्था की धुरी नारी ही है। अगर एक स्त्री पढ़ जाती है तो वह आने वाली नई पीढ़ियों को शिक्षित कर सकती है। डॉ. अम्बेडकर के प्रसिद्ध मूलमंत्र की शुरूआत ही शिक्षित करो से होती हैः– Educate – Agitate – organize.

अम्बेडकर स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अम्बेडकर को अमेरिका में यह अनुभव हुआ कि विदेशों में स्त्रियो की दशा हमारे देश से इसलिए बेहतर है क्योंकि वहाँ महिलाएँ शिक्षित हैं और जब तक आधी आबादी की शिक्षा एवं हितों की उपेक्षा करते रहेंगे, तब तक प्रगतिशील समाज का स्वप्न देखना बेमानी है। वे जानते थे कि महिलाएँ किसी भी क्षेत्र में अपना योगदान तभी दे सकती है जब वे शिक्षित हों। इसलिए वे चाहते थे कि स्त्री शिक्षा पर अधिक व्यय किया जाए क्योंकि यही स्त्रियो के आत्मसम्मान और सुरक्षा का एकमात्र उपाय था। इसके साथ बाबासाहेब सह–शिक्षा पर जोर दे रहे थे क्योंकि वे लड़के और लड़कियों भेदभाव को खत्म कर समानता का परिचय कराना चाहते थे। शिक्षा व्यक्ति को विवेकशील बनाती है। सहशिक्षा के कारण स्त्री पुरुषों के मन में जो भ्रांतिया होती है वह सजह रूप से दूर हो जाती है और भावी जीवन में पति–पत्नी के बीच संबंध मित्रतापूर्ण बनेगें

इसकी कल्पना की जा सकती है और नारी सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कहा– "सामाजिक क्रांति मे नारी वर्ग को भी पुरुष वर्ग की सहयोगी बनाना होगा" और ऐसी सोच को शिक्षा ही बढावा दे सकती है। अम्बेडकर जी शिक्षित थे इसलिए स्त्री शिक्षा के महत्त्व को समझते थे। जब भी वह अपनी पत्नी को पत्र लिखते थे तो वह उनकी शिक्षा को जारी रखने की बात कहते थे। उनकी पत्नी शिक्षित थी इसलिए उनके द्वारा किए गए कार्यों में सहयोग कर पाती थी रमाबाई ने हमेशा डॉ. अम्बेडकर गृहस्थाी के बोझ से दूर रखा। गरीबी और धनाभाव के कारण उनके पाँच बच्चे मर गए। फिर भी उनकी पत्नी ने उनका पूरा सहयोग दिया। कहा जाता है कि शिक्षित पत्नी, पत्नी होने के साथ–साथ मित्र, रक्षक, सलाहकार, उपदेशिका एवं प्रेरणा स्रोत होती है। पण्डिता रमाबाई के साथ यह शत–प्रतिशत खरा उतरता है और यह साहस रमाबाई को शिक्षा ने ही दिया था जिसे वह धन अभाव के चलते भी निरंतर शिक्ष प्राप्त करती रही। शिक्षा जैसे मूलमंत्र के साथ आज कितनी महिलाएँ शिक्षित होकर अपने पैरों पर जीवन यापन कर रही है। अतः इस संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर का महिला शिक्षा आंदोलन एवं योगदान वर्तमान राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध साबित होता है।

राजनीतिक दृष्टिकोणः–

जब तक किसी राष्ट्र में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक और शैक्षणिक क्रांति नहीं होती तब तक राजनैतिक क्रांति पैदा नहीं हो सकती। यह डॉ. अम्बेडकर का राजनैतिक दर्शन का सार था। इस दर्शन के सार में आधी आबादी के उन्मूलन का निर्धारण भी मुख्य रूप से शामिल है।

व्यस्क मताधिकार भी डॉ. अम्बेडकर का ही विचार था जिसके लिए उन्होंने 1920 में साइमन कमीशन से लेकर बाद तक लड़ाई लड़ी। उस समय यूरोप में महिलाओं के मताधिकार देने पर बहस चल रही थी। अम्बेडकर ने वोट डालने के अधिकार के मुद्दे को आगे बढ़ाया और सफल प्रयासों के चलते पुरुषों के साथ–साथ आधी आबादी वाली जनसंख्या को भी मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस तरह महिलाओं को राजनैतिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में डॉ. अम्बेडकर ने बहुत सराहनीय काम किया।[पप] डॉ. अम्बेडकर ने सर्वागीण भारतीय समाज व्यवस्था में आधी आबादी

के सशक्तिकरण के लिए "हिंदू कोड बिल" नामक कानूनी दस्तावेज को सन् 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के मंत्रिमंडल में केंद्रीय विधि मंत्री रहते हुए संसद में पेश (1950) किया। 'हिन्दू कोड बिल' अनेक कानूनों का संहितीकरण था जिसमें विवाह, संपत्ति, उत्तराधिकार अन्य अधिकार संबंधी कानूनों का समावेश था। डॉ. अम्बेडकर ने समकालीन परिस्थितियों के दृष्टि में रखकर उस बिल को तैयार था परन्तु कुछ धार्मिक मतभेदों के कारण बिल का विरोध हुआ। लिहाजा यह बल सम्पूर्ण रूप से पारित नहीं हो सका। यह एक संवैधानिक रूप से भारत के महिला सशक्तिकरण के लिए पहला कानूनी दस्तावेज था। जिसके महत्त्वपूर्ण बिन्दू निम्नलिखित थे–

स्त्री को तलाक का अधिकार। तलाक के पश्चात् गुजारा भत्ता मिलने का अधिकार।

- पैतृक संपत्ति में पुत्र के साथ पुत्री को समान अधिकार।
- स्वयं की कमाई पर स्त्री का स्वयं अधिकार।
- दत्तक लेने, संपत्ति में दत्तक को आधा व पत्नी को आधा अधिकार।
- एक पत्नी के होते दूसरी शादी न करने का अधिकार
- अंतरजातीय विवाह करने का अधिकार।
- पुत्री को उत्तराधिकारी का अधिकार।
- वेश्यावृत्ति उन्मूलन का कायदा।

'हिन्दू कोड बिल' के सभी मुख्य बिन्दुओं का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह बिल भारतीय महिलाओं के लिए सभी मर्ज की दवा थी। क्योंकि वह समझते थे कि असल में समाज की मानसिकता तब तक नहीं बदलेगी जब तक व्यवहारिक सोच विकसित नहीं होगी। 'हिंदू कोड बिल' सम्पूर्णता के साथ संसद में पारित नहीं होने दिया गया इसी कारण डॉ. अम्बेडकर ने विधि पद से इस्तीफा दे दिया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनको महिला उन्मूलन के लिए अपने पद तक को निछावर कर देने वाला भारतीय महिला क्रांति का 'मसीहा' कहा जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

'हिन्दू कोड बिल' सम्पूर्णता में अस्वीकृति हुआ पर बाबा साहेब के प्रयासों से इसके निम्नलिखित कायेद स्वतंत्र रूप में स्वीकृत हुए:–

1. 1955 हिंदू विवाह कायदा
2. 1955 हिंदू उत्तराधिकार कायदा
3. हिंदू दत्तक ग्रहण एवं निर्वाह कायदा
4. वेश्या–वृत्ति उन्मूलन कायद

इसके अलावा 2005 में उनका एक और सपना साकार हुआ जब संयुक्त हिन्दू परिवार में पुत्री को भी पुत्र के समान कानूनी रूप से बराबर का भागीदार माना गया। संयुक्त परिवार की संपत्ति का विभाजन होने पर पुत्री को भी पुत्र के समान बराबर का मिलेगा चाहे वह कहीं भी हो, विवाहित हो या अविवाहित। इस तरह महिलाओं के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में डॉ. अम्बेडकर ने बहुत सराहनीय कार्य किया।

प्रसूति लाभ विधेयकः–

मुम्बई विधानसभा में जुलाई 1928 में बाबासाहेब ने प्रसूति (Maternity benifit act) लाभ विधेयक कानून का विषय उठाया जिसमें बच्चे के जन्म के बाद चार सप्ताह काम से छूट देने का निश्चय हुआ जिसे बाद में केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने देश में लागू किया।

वह इस विधेयक के समर्थन में बोलते हैं– "मैं जानता हूँ कि यह कोई दुर्घटना नहीं है लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि महिलाएँ उन लाभों की हकदार नहीं है, जिन्हें प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से उन्हें प्रदान किया जाएगा मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य इस बात से पूर्णतया सहमत होगे कि माँ के लिए प्रसव–पूर्व दशाएँ तथा प्रसव पश्चात् बच्चों के लालन–पालन की समस्या विधेयक का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। अतएव मेरा यह विश्वास है कि यह राष्ट्रीय हित मे होगा कि जच्चा को कुछ समय के लिए प्रसव के पूर्व प्रसव के पश्चात् विश्राम दिया जाए।"[3]

महिला तथा अविकसित दुर्लक्षित समाज घटकों को न्याय मिले, उनके जीवन मे सुधार– इस पर डॉ. अम्बेडकर जी संविधान में विशेष स्थान दिया। महिलाओं को न्याय और अधिकार मिले इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहे। मजदूरों से लेकर तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषो ंके समान वेतन नहीं दिया जाता था, महिला भी पुरुषों के बराबर समय तक काम करती है तो उसे उतना ही वेतन मिलना चाहिए, जितना उसके सहकारी पुरुषों को मिलता है। समानता लाने के अम्बेडरक जी ने सर्वप्रथम इस अपमान के विरोध में आवाज उठाई इसके अलावा मँहगाई भत्ता, महिला

विकास निधि, प्रोविडेंड फंड, वोट डालने का अधिकार, महिला कामगार सुरक्षा कानून, महिलाओं को खदानों में जाकर काम करने पर प्रतिबंध, अट्ठारह साल से पहले लड़की का विवाह न हो, लैंगिक मुद्दे पर भेदभाव का विरोध (Art 15) , महिला का सम्मान, इत्यादि कानूनों पर सर्वप्रथम बोलने का श्रेय डॉ. बाबा साहेब को ही देना चाहिए।[3]

डॉ. अम्बेडकर ने महिला आंदोलनों को अपनी पत्रिकाओं के जरिए अन्य सभी प्रांतों में भी हजारों महिलाएँ जाग्रत हो रही थी। उदाहरण– दाक्षायणी वेलायुधान संविधान सभा की पहली और एकमात्र दलित महिला सभासद जैसी कई दलित महिलाओं ने अम्बेडकर जी प्रभावित होकर समाजकार्य में अपनी छाप छोड़ी। इसके अलावा हजारों महिलाएँ सभी प्रांतों मे जागृत हुई। ये महिलाएँ बच्चों की पढ़ाई के लिए जिले के गाँव में जाकर अकेले रहने लगी जिसमें यशोधरा, गायकवाड़, उर्मिला पवार है। 1930 से 1950 तक इन महिलाओं ने शिक्षा हासिल की, नौकरी की, अपने घर में अपने विचारों से बदलाव किया। 'माझी मी' किताब में यशोधरा गायकवाड़ कहती है कि "मेरी शिक्षा का प्रेरणा स्थान मेरे अभिभावक तथा डॉ. अम्बेडकर है।"

इसके अलावा बाबासाहेब का महिलाओं के प्रति विश्वास और आदरभाव देखने के बाद मुम्बई के कामाठीपुरा विभाग में वेश्यावृत्ति का व्यवसाय चलाने वाले डेविड का मन परिवर्तन हो गया। डेविड ने अपना काम बदल दिया। साथ ही वेश्याओं के पुनर्वसन के कार्य में जुट गया। अतः महिलाओं के उत्थान और परिवर्तन के लिए जो कष्ट एवं परिश्रम डॉ. अम्बेडकर ने सहे इस तुलना में अन्य किसी का नाम इतिहास में मिलना मुश्किल है।

आज के आधुनिक समय में भी हम बाबासाहेब की प्रासंगिकता को समझ सकते हैं। 20वीं सदी के मध्य में डॉ. अम्बेडकर के गुजर जाने के बाद 21वीं सदी के आधुनिक समाज में नारी का परिवार व समाज में उत्पीड़न आज भी मौजूद है। आधुनिक तकनीकी विकास ने स्त्री दमन, शोषण तथा उसके विरुद्ध हिंसा को बढ़ावा दिया है। मसलन भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिला इसका ताजा उदाहरण 2011 के अनुसार हरियाणा मे लिंग अनुपात 1000/861 रहा, यानि 139 स्त्रियों की कमी है। लिहाजा यह कि

सामाजिक संतुलन बनाएं रखने में राष्ट्र नीति मुश्किल में है।

अम्बेडकर काल मे स्त्री सशक्तिकरण की अवधारणा पुरानी होती नजर आ रही है। ऐसे में हम एक लोकतंत्र ढ़ग से इन समस्याओं का निराकरण करना होगा, यह सुकून का विषय है कि भारत में आज महिलाओं का सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई स्त्री हितकारी योजनाएँ सरकार ने आरम्भ की है। ऐसे में बाबा साहेब स्त्री अधिकारों व स्त्री संबंधी प्रश्नों के जरिए और भी प्रासंगिक हो जाते है। आज भी महिलाएँ बाबा साहेब से प्रेरणा लेकर समानता और बंधुआ का मार्ग अपना कर स्त्री स्वतंत्रता का उद्घोष कर सकती है। अतः कह सकते हैं कि बाबासाहेब अम्बेडकर सही अर्थों में कालजयी युग द्रष्टा थे। आज के दौर में सामाजिक, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक परिपेक्ष्य मे जो गंभीर समस्याएँ और विडम्बनाएं हमारे सामने है, उनके कारगर समाधान बाबासाहेब के चिंतन में मौजूद है। उनके विचारों में जो मौलिकता, प्रगतिशीलता एवं वैज्ञानिक अंतदृष्टि है, वह उन्हें विश्व चिंतकों में विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। यदि आज उनके व्यक्तित्व चिंतन और साधना का राष्ट्रीय सन्दर्भों में मूल्यांकन किया जाए तो हम अपनी बहुत सी गंभीर समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज उनके इसी व्यक्तित्व को समझना होगा। वे संपूर्ण मानवता, संपूर्ण समाज और संपूर्ण देश के महानायक थे। उनके संपूर्ण जीवन को समग्रता के रूप में स्वीकार कर उनके मूल विचारों को देश की एकता और समाज की समरसता की प्रांसगिकता के मद्देनजर आज के परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है।

संदर्भ–ग्रंथसूची–

1 राम खोबरागड़ेः (2004) सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक शिक्षा, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली

2 Ambedkar, B.R. : 2004 Rise and fall of Hindu women, New Dehli Samayak Parkashan

3 डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाड्मय खंड–5, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, पांचवा संस्करण, पृ.– 73)

4 डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाड्मय खंड– 3, पाँचवाँ संस्करण, पृ.– 185

5 डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाड्मय खंड– 7 पांचवा संस्करण, पृ.– 335

6 डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाड्मय खंड–18 पाँचवाँ संस्करण

7 Sontakke Y.D. : (2004) Thoughts of Dr. Babasaheb Amebedkar, New Delhi, SAmayak prakashan.

8. धनजय कीर, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जीवन चरित्र, पापुलर प्रकाशन, नई दिल्ली संस्करण 2016

9. डॉ. नरेन्द्र जाधव, डॉ. अम्बेडकर आत्मकथा एवं जनसंवाद, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015

10. स्ट्रेट ऑफ वीमेन कमिटि रिपोर्ट

11. जनगणना 2011